Court - Judicial Magistrate
Presiding - Shri. Vikas Kumar
Case No : Criminal Case / 365 / 2026 CNR Number : UKRU020004312026
State Government through MV ACT Vs Vipin Chandra Lohani
District Head Prosecution Advocate /

Today's Date	Roznama
09-07-2026	District Head Prosecution- Present Vipin Chandra Lohani- Present अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली तलब की गयी। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षांश धरवाण द्वारा उपस्थिति मैमों पेश। पत्रावलित किया जायें। अभियुक्त की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि अभियुक्त के वाहन सं0-एच0पी0-69-2940 का चालान किया गया था जो न्यायालय में वाद सं0-365/2026 राज्य बनाम विपिन चन्द्र लोहानी दर्ज है एंव प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मामले में आनलाईन माध्यम से अर्थदण्ड मु0-2500/-रूपये जमा किया जा चुका है, उक्त वाद को निस्तारित करने की कृपा करे। अतः अभियुक्त की ओर से शमन के आधार पर वाद को निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की गयी। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ ई-चालान प्रशमन शुल्क रसीद संलग्न की गयी है। उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यालय आख्या आहूत की गयी। कार्यालय आख्यानुसार प्रस्तुत मामला मोटर यान अधिनियम की धारा 177, 179(1) से सम्बन्धित है एंव वाहन चालक/प्रार्थी द्वारा वाहन सं0-एच0पी0-69-2940, अन्तर्गत धारा 177, 179(1) एम0वी0 एक्ट में आनलाइन माध्यम से मु0-2500/-रूपये का भुगतान कर दिया गया है तथा उक्त रसीद का क्यूआर कोड से मिलान किया गया है जो सही प्रतीत होती है। प्रस्तुत मामले न्यायालय द्वारा जारी आदेशिका पर इस आशय की आख्या अंकित है कि अभियुक्ता द्वारा शुल्क आनलाइन जमा करा दिया गया है एंव शुल्क जमा रसीद की प्रति वहट्अप माध्यम से भेजी गयी थी। सुना एवं इस स्तर पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध वाहन सं0-एच0पी0-69-2940 के सम्बन्ध में मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों के उल्लधन का अभियोग है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मामले से सम्बन्धित प्रशमन शुल्क मु0-2500/-रूपये का भुगतान आनलाईन कर दिया गया है, जिसकी ई चालान प्रशमन शुल्क जमा रसीद पत्रावली पर संलग्न की गयी है। उक्त सम्बन्ध में कार्यालय/रीडर आवश्यक कार्यवाही करें एंव अभिलेख अन्तर्गत सुंसगत प्रविष्टि की जाये। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री अक्षांश धरवाण द्वारा मूल परमिट प्राप्त किया गया जिसका पृश्ठांकन आदेश पत्र के हाशिये पर किया गया। प्रस्तुत मामलें का प्रशमन शुल्क अदा किया जा चुका है अर्थात मामले का शमन किया जा चुका है। ऐसे में मामलें में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। तदनुसार वाद निस्तारित किया जाता है। OTHERWISE : Proceeding is closed Disposal Date : 09-07-2026 **Judicial Magistrate**